न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 10 / 2024

उनवान

जसवन्त माली पिता श्री कन्हैयालाल जाति माली आयु 50 वर्ष निवासी बोराव हाल मुकाम कुम्हार मोहल्ला रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

..... प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ ।

.....विपक्षी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – रईस अहमद मंसूरी अभिभाषक प्रार्थी।

पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 12.07.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम मौजा बोराव प0ह0 बोराव भू.अ.नि. बोराव तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 184 खसरा संख्या 1679 कुल किता 01 रकबा 0.43है0 खाते में प्रार्थी का नाम जसुराम पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 2/3 जाति माली सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है व इसी प्रकार ग्राम बोराव की खाता संख्या 437 खसरा सख्या 1979 कुल किता 01 कुल रकबा 0.03है0 गै.मु.आ.चा. खाते में प्रार्थी जसु पुत्र काना हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है तथा इसी प्रकार ग्राम बोराव की खाता संख्या 443 खसरा संख्या 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1923, 1924, 1927 कुल किता 08 कुल रकबा 2.53है0 मे प्रार्थी का नाम जसुराम पिता काना हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं ग्राम बोराव की खाता सख्या 444 खसरा संख्या 1925, 1982, 1983, 2287, 2289 कुल किता 05 कुल रकबा 1.33है0 में प्रार्थी का नाम जस्सु पुत्र काना हिस्सा 1/4 जाति माली अंकित है एवं ग्राम बोराव की खाता संख्या 445 खसरा संख्या 1915, 1921 कुल किता 02 कुल रकबा 0.74है0 में प्रार्थी का नाम जसु पुत्र काना हिस्सा 5/12 जाति माली सा. देह खातेदार दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी व उसके पिता का नाम सभी खातों में अलग अलग गलत इन्द्राज हो गया है प्रार्थी के घर में जसु, जसुराम, जसवन्त माली पिता श्री कन्हैयालाल उर्फ काना भी कहते थे, दोनो की नाम एक ही व्यक्ति के है तथा जसु,जसुराम व जसवन्त माली एक ही व्यक्ति है तथा अलग अलग नाम होने से प्रार्थी को बडी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है तथा ऋण लेने व खाद बीज लेने में भी भारी परेशानी हो रही है इसलिए प्रार्थी के उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थी का नाम जसवन्त माली पिता कन्हैयालाल किये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपरोक्त सभी कृषि आराजीयात में प्रार्थी का नाम जसु, जस्सु व जसुराम व पिता का नाम काना लिखा हुआ है जबकि प्रार्थी का सही नाम जसवन्त माली पिता कन्हैयालाल है तथा ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि उक्त सभी नाम एक ही व्यक्ति के है जिसका वास्तविक नाम जसवन्त माली पिता कन्हैयालाल है। अन्त में ग्राम बोराव प0ह0 बोराव तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 184 खसरा संख्या 1679 कुल किता 01 रकबा 0.43है0 व खाता संख्या 437 खसरा संख्या 1979 कुल किता 01 रकबा 0.03है0 गै.मु.आ.चा. व खाता संख्या 443 खसरा संख्या 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1923, 1924, 1927 कुल किता 08 कुल रकबा 2.53है0 व खाता संख्या 444 खसरा संख्या 1925, 1982, 1983, 2287, 2289 कुल किता 05 कुल रकबा 1.33है0 तथा खाता संख्या 445 खसरा संख्या 1915, 1921 कुल किता 2 कुल रकबा 0.74है0 में प्रार्थी का नाम जसवन्त माली पिता कन्हैयालाल किये जाने के इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.07.23 13:45:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच कराई गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खाते की नकलों में प्रार्थी का नाम जसु, जस्सु व जसुराम पिता का नाम काना लिखा हुआ है जबकि मुताबिक मौतबिरानों एवं राशन कार्ड, आधार कार्ड व पंचायत के प्रमाण पत्र के अनुसार जसवन्त माली पिता कन्हैयालाल माली है। अतः उपस्थित मौतबिरानों के अनुसार उक्त सभी

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

एक ही व्यक्ति का होना बताया गया। उक्त जमाबन्दी सम्वत 2076–79 में खाता संख्या 444 में प्रार्थी खातेदार का नाम जसु पिता काना हिस्सा 1/4 जाति माली सा. देह खाता संख्या 437 में प्रार्थी खातेदार का नाम जसु पिता काना हिस्सा 1/8 जाति माली सा. देह खातेदार खाता संख्या 445 में प्रार्थी खातेदार का नाम जसु पिता काना जाति माली में प्रार्थी खातेदार का नाम जसु पिता काना जाति माली हिस्सा 5/12 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 443 में प्रार्थी खातेदार जसुराम पिता काना हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा खाता संख्या 184 में प्रार्थी खातेदार का नाम जसुराम पिता कन्हैयालाल हिस्सा 2/3 जाति माली सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा जमाबन्दी में ओर भी सहखातेदार है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रावतभाटा मय प0ह0 बोराव रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी का नाम जसवन्त माली पिता कन्हैयालाल किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बोराव प0ह0 बोराव तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 184 खसरा संख्या 1679 कुल किता 01 रकबा 0.43है0 व खाता संख्या 437 खसरा संख्या 1979 कुल किता 01 कुल रकबा 0.03है0 गै.मु.आ.चा. व खाता संख्या 443 खसरा संख्या 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1923, 1924, 1927 कुल किता 08 कुल रकबा 2.53है0 व खाता संख्या 444 खसरा संख्या 1925, 1982,1983, 2287, 2289 कुल किता 05 कुल रकबा 1.33है0 तथा खाता संख्या 445 खसरा संख्या 1915, 1921 कुल किता 2 कुल रकबा 0.74है0 में प्रार्थी का नाम जसवन्त माली पिता कन्हैयालाल किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.7.2024 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

(महेश मगरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Ga
Date: 2024.07.23 13:45:43 IST
Reason: SelfAttested